बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे मे जानकारी भाग-19

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009 एवं नियमावली 2010 के तहत रैयतों को प्रदत्त सुविधायें

- राज्य के स्वत्वाधिकार अभिलेखों, चौहद्दी, राजस्व अभिलेखों की प्रवृष्टियों, रैयती भूमि की गैर कानूनी दखल अथवा सार्वजनिक भूमि के आवंटियों की जबरन बेदखली से उद्भूत समस्याओं एवं विवादों का एकरूपता से समान प्रक्रिया अपना कर 90 दिन के अन्दर कार्यवाही का Summary Disposal करने हेतु इस अधिनियम को लाया गया। जिसमें सक्षम प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को बनाया गया।
- इस अधिनियम के U/S-4 के तहत विवाद निराकरण हेतु क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार बताये गये हैं:
  - (क) इस अधिनियम में शामिल 6 अधिनियम के तहत किसी के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा बन्दोबस्ती के दस्तावेज या पर्चा निर्गत के द्वारा बन्दोबस्त या आवंटित किसी भूमि या उसके अंश से किसी बन्दोबस्ती धारी या आवंटी की अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली
  - (ख) अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली के न्याय निर्णय के उपरान्त विधितः सुयोग्य बन्दोबस्ती - धारी या आवंटी के पक्ष में बंदोबस्त / आवंटित भूमि का दखल पुनः स्थापित करना
  - (ग) किसी विधितः सुयोग्य बन्दोबस्तीधारी/ आवंटी की आशंकित बेदखली
  - (घ) रैयती भूमि से सम्बन्धित उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित मामलों में कोई
  - (ङ) भू-खण्ड का विभाजन
  - (च) मानचित्र /सर्वे मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टि में संशोधन
  - (छ) किसी व्यक्ति के अधिकारों का प्रख्यापन
  - (ज) सीमा-विवाद
  - (झ) अनधिकृत संरचना निर्माण
- इस अधिनियम के U/S-14 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध 30 दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष अपील करने का प्रावधान है।
- बिहार भूमि विवाद निराकरण के अधीन वाद ऑनलाइन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ के अंतर्गत "Revenue Court Management System" से दायर किए जा सकते है।

इस अधिनियम की खास विशेषता यह है कि इसमें सक्षम प्राधिकार को अपने आदेश के कार्यान्वयन हेतु दण्डाधिकारी एवं बल प्रतिनियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/LRC पर उपलब्ध लिंक "नागरिक सेवाएँ" पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु "नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी" लिंक पर क्लिक करें।